

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/19  
(जीसीएमएस संख्या 2019/00137 )

निर्णय दिनांक:- 14-11-2023

1. लिलू सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी मूण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-अपीलांट-

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-05-1998  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री ~~विश्वेन्द्र~~ नन्द, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-05-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/25 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी आवेदकों की पात्रता तैयार की गई। उक्त वरीयता में अपीलांट की द्वितीय वरीयता कायम की गई, परन्तु कालान्तर में अन्य आवेदक के प्रार्थना पत्र पर आराजी जैर का आवंटन कर दिया गया।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 11-04-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 11-04-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलांट को उसका आवेदन खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं करते हुए आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/25 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार वरियता कायम करते हुए अपीलांट की द्वितीय वरियता भी कायम कर दी गई। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक से आवेदन प्राप्त


  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही से सूचित नहीं किया। एकतरफा तौर पर आवंटन खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली में खारिजी आदेश से आवेदक को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमानी पूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट की पात्रत कायम रखते हुए अपीलाट के आवेदन का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीबीनोरेर